भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 120
18.07.2022 को उत्तर के लिए

जंगली जानवरों से फसलों को बचाने हेतु दिशा-निर्देश

120. श्री रामदास तडस :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फसलों के नुकसान सहित मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन पर दिनांक 3 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें वन के सीमांतवर्ती क्षेत्रों में ऐसी फसलों का संवर्धन करना शामिल है जो कि वन्य पशुओं के लिए अरूचिकर है तथा कृषि वानिकी माडल का संवर्धन करना है जिसमें मिर्च, लेमनग्रास, खसग्रास इत्यादि जैसी नकदी फसलें शामिल हैं जोकि वृक्ष/झाड़ी प्रजातियों के साथ उपयुक्त रूप से मिक्स हो जाती हैं। इनमें अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा एकांतरित खेती के लिए विस्तृत दीर्घकालिक योजना की तैयारी और कार्यान्वयन भी शामिल है।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। हालांकि, क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की होती है।

****